भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के जिला–कोरबा में प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण Development of Bilaspur-Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) start at Junction with NH-130 & NH-130A, near Nehru Chouk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near urga in the State of Chhattisgarh(approx 70.2 km) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 05.07.2019, दिन–शुकवार, स्थल–शासकीय हाईस्कूल, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा के परिसर में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के जिला–कोरबा में प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण Development of Bilaspur-Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) start at Junction with NH-130 & NH-130A, near Nehru Chouk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near urga in the State of Chhattisgarh(approx 70.2 km) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में सदस्य सचिव, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, मुख्यालय, रायपुर, अपर कलेक्टर कोरबा की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 05.07.2019 दिन–शुक्रवार, स्थल–शासकीय हाईस्कूल, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा के परिसर में प्रातः 11:00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम श्री नरेन्द्र सिंह , परियोजना निदेशक, द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत् बिलासपुर उरगा सेक्शन–एन.एच.–130A (रायपुर, धनबाद,

इकनोमिक कॉरिडोर) संबंध में पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रतिवेदन (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के कार्यपालिक सार का प्रस्तुतीकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के जिला–कोरबा में प्रस्तावित राजमार्ग निर्माण Development of Bilaspur-Urga section of NH-130A (Raipur-Dhanbad Economic Corridor) start at Junction with NH-130 & NH-130A, near Nehru Chouk, Bilaspur and terminate at junction with NH-149B & SH-4 near urga in the State of Chhattisgarh(approx 70.2 km) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से दिनांक 04.07.2019 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित एवं मौखिक में कोई भी चिंताएँ/ सुझाव/ विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है। दिनांक 05.07.2019 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में 31 चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई। इस प्रकार लिखित में कुल 31 चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में आवेदन प्राप्त हुये। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 28 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक रूप से चिंताएँ/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका/टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 250–300 व्यक्ति उपस्थित थे। जिसमें से 135 व्यक्तियों द्वारा उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर किये गये।

लोक सुनवाई में मौखिक रुप से निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ की गई :–

1. **श्री ओमप्रकाश साहू, ग्राम–गुमिया, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**
ग्राम गुमियां में जहॉ रोड कासिंग हो रही है वहां गांव वालों को रोड कासिंग के लिए क्या सुविधा होगी।
2. **श्री द्ववास राम पटेल, ग्राम–कुदुरमाल, तहसील–करतला जिला–कोरबा –**
जो जमीन अधिग्रहित हो रहा है, उसका मुआवजा कब तक मिलेगा।
3. **श्री तूल सिंह कंवर, ग्राम–भैसाम, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**
जो जमीन अधिग्रहित की गई है, उसका तो प्रकाशन हुआ है लेकिन बाद में जो सड़क के दोनों ओर 5–5 मीटर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित की गई है, उसे सम्मिलित कर लिया गया है कि नहीं। सीतापाली ग्राम– 0.142 हेक्टेयर अधिग्रहित हुई है, जो शेष जमीन बची है उसका अधिग्रहण क्यो नहीं दिया जा रहा है। मेड़ पर लगे पेड़ का मेजेरमेंट हुआ है कि नहीं बताएं।
4. **श्रीमती शांति बाई, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**
मेरी जमीन को मंगली बाई, पति– लच्छन सिंह ने ले लिया है। मेरा नाम खातम में था । मेरे पिता का नाम इतवार दास है। कृपया मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें पेड़–पौधा है। 37 डिसमिल जमीन मेरे नाम पर है, मुझे मुआवजा दिया जाए।
5. **श्री निर्मल कौशिक, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**
जमीन अधिग्रहण के दौरान हमारे पेड़–पौधे कट जायेंगे, तो क्या हमारे लिए फलदार पेड़–पौधे लगाए जाएंगे या सिर्फ मुआवजा ही मिलेगा।
6. **श्रीमती राम बाई, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला जिला–कोरबा –**
मै खेत को बेची हूॅ और टिकरा जमीन को शंकर लाल यादव(कोरबा) के द्वारा खरीदा गया है। मेरे को मुआवजा मिलना चाहिए।

7. श्रीमती बुधकुंवर, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा–

जो जमीन अधिग्रहित की गई है उसमें से 35 डिसमिल जमीन मरे पिता भजनदास के नाम पर है, इसलिए मुझे मुआवजा मिलना चाहिए।

8. श्री संतोष कुमार पटेल, ग्राम–चैनपुर, तहसील–करतला,जिला–कोरबा –

हमारी जमीन जिस पर मेरे पूर्वजों का नाम है और उसे हम अभी भी बुवाई कर रहे है, लेकिन हमें पता चला है कि वो जमीन दूसरे के नाम चली गई है, हमे मुआवजा मिलना चाहिए।

9. श्री धनीराम भार्गव, ग्राम–गुमिया, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –

मेरा जमीन अधिग्रहित हुआ है, लेकिन प्रकाशन नहीं हुआ है। जमीन मं 4 पेड़ भी है, उसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं ।

10. श्री गंगा प्रसाद आदिले,ग्राम–गुमिया, तहसील–करतला,जिला–कोरबा –

मेरा जमीन भारतमाला प्रोजेक्ट में अधिग्रहित की गई है, लेकिन प्रकाशन नहीं हुआ है, प्रकाशन किया जाए।

11. श्री हया खान, ग्राम–जुनवानी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –

मैने घर बनाने के लिए जमीन ली थी, जो नेशनल हाईवे में चला गया। मुझे घर बनाने के लिए जमीन दिया जाए।

12. श्री ओमप्रकाश रजवाड़े, ग्राम–पथरीमाल, तहसील–करतला जिला–कोरबा –

मेरी जमीन राजमार्ग मे अधिग्रहित की गई है, लेकिन अभी तक यह नही बताया गया है कि कितना मुआवजा दिया जाएगा।

13. श्री सईद मोहम्मद, ग्राम–जुनवानी, तहसील–करतला,जिला–कोरबा –

अधिग्रति जमीन में बड़ी मुश्किल से 400 फीट में पानी मिला है, यहां भूमिगत जल की समस्या विकट है, इसलिए मुझे अन्यत्र पानी की व्यवस्था प्रदान करें।

साथ ही तालाब भी पट रहा है, इसलिए निस्तारी हेतु पानी की अतिरिक्त व्यवस्था की जाए।

14. श्री द्वारिका प्रसाद जायसवाल, ग्राम–जुनवानी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –

मैने जमीन अपने बेटे के लिए घर बनाने के लिए जमीन ली थी, इसलिए मुझे निजी जमीन के बराबर मुआवजा मिलना चाहिए।

15. श्री इस्माईल खान, ग्राम–जुनवानी, तहसील–करतला,जिला–कोरबा –

मेरी 6 डिसमिल जमीन और घर रोड में निकल रहा है, मेरे पास और कोई जमीन नहीं है, इसलिए मेरे लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

16. श्री समन सिंह कंवर, ग्राम–भैसमा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा–

मुझे घर के लिए एवं कुऑ के लिए मुआवजा दिया जाए।

17. श्रीमती चन्दर बाई यादव, ग्राम–जुनवानी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –

मेरी जमीन रोड में है, जिस पर घर, कुऑ भी है, जो कि आदिवासी जमीन है, उसका मुआवजा दिया जाए।

18. श्री पुरषोत्तम कंवर, ग्राम–जुनवानी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –

मैं सरपंच जुनवानी का हूॅ। सड़क के कारण धूल डस्ट होता है, अतः सामुदायिक भवन, बोर, आदि कराया जाए।

19. श्री राहूल बघेल, ग्राम–बगबुड़ा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा–

नेशनल हाईवे के किनारे रोड पर पेड़ लगवाए जाए, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, इसका जवाब दिया जाए।

20. **श्री शिवनारायण राजवाड़े, ग्राम–कथरीमाल,तहसील–करतला जिला–कोरबा –**

नेशनल हाईवे में हमारा 6 एकड़ जमीन जा रहा है, इसलिए हमें मुआवजा के साथ नौकरी एवं रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाए।

21. **श्री मनहरण लाल पटेल, त्रग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

अधिग्रहण में हमारा घर, कुऑ, कोठार जा रहा है, इसलिए हमें मुआवजा के साथ नौकरी एवं रहने के लिए घर की व्यवस्था की जाए।

22. **श्री नंदकिशोर साहू, ग्राम–चैनपुर, तहसील–करतला,जिला–कोरबा –**

अधिग्रहित जमीन मेरे दादाजी के नाम पर है, वो खत्म हो गए है, मेरे पिताजी भी जीवित नहीं है, इसलिए मुआवजा मेरी मॉ दुखा बाई साहू के नाम पर आनी चाहिए।

23. **श्री आर मिंज, ग्राम–नकटीखार, तहसील–कोरबा, जिला–कोरबा –**

मेरी जमीन भैसमा में है, जो मेरी पत्नी के नाम पर है, 50 डिसमिल जमीन के लिए कितना मुआवजा मिलेगा।

24. **जीवन लाल राजवाड़े,ग्राम–कथरीमाल,तहसील–करतला,जिला–कोरबा –**

राजमार्ग के तहत हम लोगों की बहुत ज्यादा जमीन निकल रही है। खेत एवं तालाबों में बड़े पौधे निकल रहे है, तालाब, गॉव के लोगों के निस्तारी का मुख्य साधन है। सड़क बनने से पेड़ कटेंगे, तालाब प्रदूषित होगा, वाहन चलने से भी प्रदूषण होगा, जिससे बीमारी बढ़ेगी। सड़के के किनारे 1 या 2 डिसमिल जमीन बचेगी। उसका भी मुआवजा दिया जाए। कितना मुआवजा मिलेगा ये भी बताऍ। हमारी तालाब वाली जमीन जो हमोर जीवन यापन का साधन था, इसलिए हमारे परिवार के सदस्यों को नौकरी दी जाए।

25. **श्री सईद मोहम्मद, ग्राम–जुनवानी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

हाईवे जुनवानी और भैसमा के बीच से जा रही है, जिससे वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण होन की संभावना है, इसलिए रोड को गांव के बाहर की ओर डाइवर्ट किया जाए।

26. **श्री बलराम बंजारे, ग्राम–अखरापाली,तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

अधिग्रहित जमीन के बगल में कुऑ है, राजमार्ग बनने से कुऑ का पानी प्रदूषित होगा। इसलिए हमें कुऑ के लिए मुआवजा दिया जाए। अधिग्रहित जमीन में 300 सौगोन के पेड़ है, इसके लिए भी मुआवजा दिया जाए।

27. **श्री आशुतोष कौशिक, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

भारतमाला रोड ग्राम–परसाभांठा के बगल से जा रहा है, जिससे वायू प्रदूषण बढ़ने की संभावना है, इसलिए रोड को गांव से 200–250 मीटर दूर से निकालना चाहिए।

28. **श्री अरूण कुमार बंजारे, ग्राम–अखरापाली, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

नहर किनारे हमारा घर है, जहॉ गुरूघासीदास जी का जैतखम्भ भी पड़ता है, इसलिए रोड को ग्राम से बाहर की ओर निकाला जाए ताकि घर और जैतखम्भ भी बच जाए।

लोक सुनवाई के पूर्व एवं लोक सुनवाई के दौरान लिखित रुप से निम्नानुसार चिंताओं/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैः–

1. **श्री जगदीश प्रसाद कौशिक, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला,जिला–कोरबा –**

   ग्राम –तरदा की भूमि जिसका खसरा नंबर–439/2, 439/3, 439/4 है का पुनः सर्वेक्षण करवाने की कृपा करें। उक्त खसरा नंबर भारतमाला रोड में अर्जित हो रही है।

2. **श्री हेतराम पटेल, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा–**

   मेरी 94 डिसमिल जमीन में से 58 डिसमिल जमीन भारत माला परियोजना में आ रही है, जो चार बंटवारा हो चुका है, मुझे 14 डिसमिल जमीन मिला है। इसके अलावा मेरे पास जमीन नहीं है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मै और मेरी पत्नी दोनों स्नातक एवं स्नातकोत्तर है। नौकरी चाहिए। कृपया मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

3. **श्री धनीराम, ग्राम–गुमिया, तहसील–करतला, जिला–कोरबा**

   रोड चौडीकरण करने, भूमि अधिग्रहण कर, राजपत्र में प्रकाशित नहीं होने पर आपत्ति।

4. **श्री गंगा प्रसाद, ग्राम–गुमिया, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

   रोड चौडीकरण करने, भूमि अधिग्रहण कर, राजपत्र में प्रकाशित नहीं होने पर आपत्ति।

5. **श्री हर प्रसाद, ग्राम–गुमिया, तहसील–करतला, जिला–कोरबा**

   ग्राम गुमिया, प.ह.नं.–01, के खाता धारक हर प्रसाद, पिता धीरसाय के नाम से भूमि है। जिसका खाता गुम हो गया है, उसका दूसरा खाता बनाया जाए।

6. **श्री व्यास नारायण कुर्मी एवं अन्य, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा**

   तालाब एवं खेतीहर भूमि तथा वृक्ष का उचित मुआवजा देने हेतु।

7. **श्रीमती अगहन बाई कंवर एवं अन्य, ग्राम– तरदा, तहसील–करतला जिला–कोरबा –**

राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्रदाय करने बाबत।

8. **श्री रामनारायण राजवाडे, ग्राम–बिरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

मैं ग्राम का निवासी हूँ। हमारा पेड़ एवं जमीन रोड पर है। हम लोग बेराजगार है। हमें नौकरी एवं रोजगार दिलाने की महान कृपा की जाए।

9. **श्री सुखी राम पटेल एवं अन्य ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –**

राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहित की जाने वाली जमीन का मुआवजा राशि को बताने बाबत एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फलदार वृक्ष लगाया जाए तभी जमीन का अधिग्रहण करना सार्थक होगा।

10. **श्री महेश राम सतनामी, ग्राम–अखरापाली, जिला–कोरबा –**

पूर्व में मैन 9 डिसमिल जमीन विकय किया है। बांकी उसी केता के नाम पूरी अधिग्रहित जमीन 1.86 डिसमिल उसी के नाम दिखा रहा है। केता के पास 0.9 डिसमिल पंजीयन पेपर है। लेकिन अधिग्रहण पश्चात हमने पूरी जमीन का जांच कराया तो पूरी जमीन उसी के नाम दर्शा रहा है। वर्तमान केता के नाम 9 डिसमिल जमीन छोड़कर बांकी जमीन पूरी दस्तावेज पर मेरा नाम अंकित किया जावे।

11. **श्री सिंहदेव एवं अन्य ग्राम–कथरीमाल, जिला–कोरबा –**

दरशकुमारी पति–राधेलाल, जाति–कुर्मी ग्राम–कथरीमाल, प.ह.नं.–01, खसरानं. –133 हेक्ट. रकबा–0.987 हेक्टेयर से अर्जित जमीन का मुआवजा राशि को रोककर ट्रेजरी में जमा करने बाबत्।

12. श्री धनऊ राम व सत्य नारायण, ग्राम–अखरापाली, तह. व जिला–कोरबा –

हम ग्राम–अखरापाली, पटवारी हल्का नंबर, 16, जिला व तहसील–कोरबा का निवासी है, जो कि मेरे खातेदार लोग अपने हिस्से का जमीन बेचकर दूसरे गांव में चले गये है, वहां गये 40 वर्ष हो चुका है, और रोड लाईन में सिर्फ दो सह खातेदारों का जमीन निकल रहा है। अतः श्रीमान शिविर अधिकारी से निवेदन है कि हम दोनों के नाम पर मुआवजा मिल जाए।

13. श्रीमती गायत्री, सरपंच ग्राम पंचायत, तरदा एवं श्री कोमल प्रसाद पटेल एवं अन्य ग्राम–तरदा , जिला–कोरबा –

शासकीय हाईस्कूल तरदा में स्कूल भवन बनें 5 साल हो चुका है परन्तु आज दिनांक तक अहाता निर्माण नहीं हो पाया है। जिसके कारण शाला भवन में मवेशी प्रवेश कर जाते है एवं गांव में हसदेव नदी के किनारे पिचिंग कार्य एवं अन्य सामुदायिक कार्य कराये जाने की जरूरत है अतः अहाता निर्माण करने की कृपा करें।

14. श्रीमती गायत्री, सरपंच ग्राम पंचायत, तरद एवं श्री रामलाल पटेल एवं अन्य ग्राम–तरदा जिला–कोरबा –

ग्राम–तरदा, जिला–कोरबा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शासकीय हाईस्कूल संचालित है। यहॉ हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई प्रभावित हो रही है खासकर बालिकाओं की आगे की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि यहां से आठ किलोमीटर की दूर पर कमशः कनकी विकास खण्ड करतला एवं कुदुरमाल विकासखण्ड–कोरबा में हॉयर सेकेण्डरी स्कूल है जो कि अधिक दूरी होने के कारण बालिकाए नहीं जा पाती एवं आगे की पढ़ाई से वंचित हो रही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त समस्या को देखते हुए शासकीय हाई स्कूल का हॉयर सेकेण्डरी में उन्नयन कराने की महान कृपा करें।

15. श्री रामनारायण राजवाडे, ग्राम–कथरीमल, जिला–कोरबा –

हमारी जमीन जो रोड में आ रही है, उस जमीन के बदले हमे नौकरी दी जाए। हम लोग उसी जमीन से अपना भरण पोषण करते है। हमारे पास कोई जमीन नहीं है।

16. **श्री अनंत कुमार धीवर, ग्राम–तिलकेजा, जिला–कोरबा –**
नेशनल हाईवे रोड, ग्राम– मसान, स्थित खसरा नं.–257/1 एंव 257/2 में से 0.40 एकड भूमि अर्जन किये जाने बाबत् आपत्ति।

17. **श्री ओंकार प्रसाद कौशिक, गाम–तरदा, जिला–कोरबा –**
भारतमाला परियोजना में अर्जित की जा रही है। भूमि में फदार विभिन्न प्रकार के पेड–पौधे है। उनकी मुआवजा के अतिरिक्त जितनी पेड़–पौधे अर्जित की जा रही है। उनकी दुगना पौधे निःशुल्क शासकीय नर्सरी के दिलायी जावे, जिससे पुनः बचत जमीन पर पौधा रोपड़ किया जा सके।

18. **श्री डोलनारायण राजवाडे, ग्राम–कथरीमाल, जिला–कोरबा –**
मेरे बड़े भाई व्यास नारायण के नाम से जमीन है, मेरे बटवारे मं 1.50 एकड़ का जमीन भारत माला परियोजना में निकल रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे मेरे बंटवारे की राशि का चेक डोल नारायण राजवाड़े के नाम से देने की कृपा करेंगे।

19. **श्री कामता प्रसाद पटेल, ग्राम–तरदा, जिला–कोरबा –**
ग्राम–तरदा, विकासखण्ड– करतला, जिला–कोरबा का मैं कामता प्रसाद पटेल है । मेरा भारतमाला परियोजना में मेरा 30 फीट का दो रूम बाउण्ड्रीवॉल एवं पेड़–पौधा आ रहा है, जिसका मुआवजा मिलना चाहिए।

20. **श्री फिरतराम एवं अन्य ग्रामवासी, ग्राम– तरदा, जिला–कोरबा –**
ग्राम–तरदा, के आश्रित मुहल्ला, जंगलपारा में पानी बिजली, गली कांक्रीटीकरण कराते हुए अधूरे शौचालय को पूर्ण कराने बाबत्।

21. **श्री गंगा राम कौशिक एवं अन्य, ग्राम–तरदा, जिला–कोरबा–**
वर्तमान बाजार भाव से मुआवजा राशि प्रदान करने बाबत्।

22. **श्रीमती तीज बाई एवं अन्य, ग्राम–तरदा, जिला–कोरबा –**
मंगली बाई, बेवा लछन सिंह के दामांद अमगांवाईया के द्वारा बलपूर्वक हमारे खसरा नं.– 527/1 रकबा–0.35 एकड़ भूमि भारत माता राजमार्ग संख्या क्रमांक 130 ए के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है जो पैतृक भूमि है, उसमें धान बुआई करने पर लाठी के बल पर हमारे द्वारा धान बोआई के बाद उसके ऊपर धान बुआई करने के खिलाफ कार्यवाही करने के संबंध में।

23. **श्री दिल सिंह पटेल, ग्राम–अखरापाली, जिला–कोरबा –**
मैं ग्राम–अखरापाली का निवासी हूँ नाम दिलसिंह पटेल, जो कि मेरा घर मकान क्रमांक 73 जों कि शासकीय भूमि पर मकान बना है, जो कि मैं भूमिहीन हूँ। जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग में मेरा मकान प्रभावित है। अतः अनुभवी अधिकारी के निवेदन है कि मुझे मेरी मकान का मुआवजा राशि दिलवाने की कृपा करें।

24. **श्री तेरसराम, ग्राम–अखरापाली, जिला–कोरबा –**
मेरी भूमि का शीघ्र हल्का पटवारी से सीमांकन(नापी) किये जाने के संबंध में।

25. **श्री नोहर साय एवं अन्य, ग्राम–तरदा, जिला–कोरबा –**
वर्तमान बाजार भाव से मुआवजा राशि प्रदान करने बाबत।

26. **श्री राधेलाल पटेल,ग्राम–अखरापाली, जिला–कोरबा –**
शासन द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा राशि का विवरण, पेड़–पौधों का विवरण साथ ही किसानों की जमीन अब तक प्रेस में प्रकाशित नहीं हुआ है, जिसके चलते किसानों में भ्रम की स्थिति है। हमें इस बात का भय है कि शासन अपना काम चालू करें और हम दफ्तर का चक्कर काटते फिरें। शासन से मेरा अनुराध है कि उक्त तमाम विषयों पर पारदर्शिता के साथ शिविरों में इससे अवगत कराया जावे। ताकि अधिग्रहित किसान समूह किसी भी संदेह से बाहर निकले। शासन के इस कार्य को पूरा होने में खुशीमन से सहयोग करें।

27. श्री तेरस राम पटेल, ग्राम–तरदा, जिला–कोरबा –

मेरा जमीन(खेत) राष्ट्रीय राजमार्ग में निकल रहा है, जिसका कुल रकबा 42 डिसमिल है। जिसमें से कुछ जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग में निकल रहा है। जिसमें मेरा जो जमीन शेष बच जा रहा है। मेरे जमीन को पूरा लिया जावे, ताकि मुझे पूरा मुआवजा मिल सके। कुछ जमीन के बचने से मेरे खेत की दशा बिगड़ जाएगी। जिससे मुझे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि 42 डिसमिल जमीन को पूरा अधिग्रहण किया जावे।

28. श्री धनीराम रात्रे, ग्राम पंचायत–अखरापाली, जिला–कोरबा –

भूमि खसरा नंबर–89, 90 व 91 पर काबिज लक्ष्मीनारायण वगैरह के नाम पर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किए जाने के विरूद्ध आपत्ति दर्ज करने बाबत।

29. श्री बुंदराम मांझी, ग्राम–तरदा, तहसील–करतला, जिला–कोरबा –

मैं बूंदराम मांझी मुझे एक किश्त मिला है। दूसरा किश्त नहीं मिला है। अतः आप से अनुरोध है कि मुझे दूसरा किश्त दिलवाने की महान कृपा करें।

30. श्री द्वास राम पटेल, ग्राम–कुदुरमाल, जिला–कोरबा –

मेरे खेत के पास सीपत से उरगा रोड निर्माणधीन हो रहा है, रोड में पाईप डालकर पुल निर्माण किया गया है, जिसका निर्माण सुनील अग्रवाल ठेकेदार द्वारा किया गया है और पानी का निकासी के लिए श्री सुरेश अग्रवाल, श्री प्रवीण पाण्डेय एवं श्री सुनील शर्मा जगह देखने के लिए आये थे, उसके बाद उन्होने पुल के पास से खेत के किनारे से एक नाली निर्माण होने की बात कही गई थी, जो अभी तक इस पर कोई कार्य प्रारम्भ नही किया गया है। महोदय से निवेदन है कि बरसात लगने से पहले पुल से नाली निर्माण कराकर उचित स्थान में छोड़ा जाए, जिसके लिए ठेकेदार सुनील अग्रवाल को आदेशित कर उचित कार्यवाही क़रें।

31. **श्रीमती रामबाई पटेल, ग्राम–तरदा, जिला–कोरबा –**
श्रीमान कलेक्टर महोदय जी मैं रामबाई पटेल जो तरदा की निवासी हूँ। मेरी उक्त जमीन को उमा बाई पति श्री शंकर यादव जंगल कॉलोनी , कोरबा का निवासी है। वह मेरी जमीन को फर्जी रूप से अपने नाम में करवा लिया है, जो भारतमाला परियोजना कंपनी में अधिकृत हुआ है। अतः श्रीमान कलेक्टर महोदया से निवेदन है कि उक्त जमीन का मुआवजा रोकन की कृपा करें एवं उस जमीन का सही रूप से निराकरण करवाने की कृपा करें।

लोक सुनवाई दौरान मुख्य रुप से लिखित एवं मौखिक चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ में उठाये गये मुख्य मुद्दों का समावेश निम्नाकिंत प्रश्नों में किया गया है, जिसके परिपेक्ष्य में श्री नरेन्द्र सिंह परियोजना निदेशक द्वारा दी गई जानकारी निम्नानुसार समावेशित प्रश्नों के साथ निम्नानुसार है :–

1. ग्राम–तरदा के खसरा नंबर 439/2, 439/3, 439/4 को पुनः सर्वेक्षण करवाने की कृपा करें ?

उ0 भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा निराकरण किया जायेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

2. सड़क निर्माण में प्रभावित परिवार रोजगार की मांग कर रहा है, क्योकि उनके पास कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है?

उ0 नियमानुसार सडक निर्माण से प्रभावित परिवारों को नौकरी/रोजगार देने का शासन का कोई प्रावधान नहीं है।

3. खसरा नं.– 615/1 का 3डी का प्रकाशन नहीं हुआ है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

4. खसरा नं.– 556/2 का 3डी का प्रकाशन नहीं हुआ है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

5. प्रभावित व्यक्ति के पिता का खाता गुम गया है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

6. प्रभावित व्यक्ति का तालाब एवं खेती वाली जमीन परियोजना में आ रही है। इसका उचित मूल्य प्रदान करें एवं परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाए ?

उ0 तालाब एवं खेती वाली जमीन का भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा। नियमानुसार प्रभावित परिवारों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

7. संयुक्त परिवार का मुआवजा अलग–अलग हिस्सें में दिया जाए, ताकि हम लोगों में विवाद न हो ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

8. भू प्रभावित सदस्य को नौकरी दी जावे ?

उ0 शासन के नियमानुसार रोड निर्माण के दौरान भू–प्रभावित परिवारों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. मुआवजा राशि कितना होगा हमें पता नहीं है। मुआवजा राशि बतान की कृपा करे , हमारे फलदार वृक्षों का क्या होगा ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी। फलदार वृक्षों का उनके द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा।

10. भूमि विक्रेता का नाम हटाकर मेरा नाम अंकित किया जावे ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

11. खसरा , रकबा एवं क्षेत्रफल गलत डाला गया है। इसे ठीक करने की कृपा करें ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

12. जमीन मालिक जमीन बेचकर जा चुके हैं, इसलिए मुआवजा हम दोनों को दिया जाए ?

उ0. इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

13. हसदेव नदी शमशान घाट, पाठशाला भवन, विद्यालय परिसर एवं शाला भवन प्रभावित होगी। कृपया आवश्यक कार्यवाही होगी ?

उ0 शमसान घाट, पाठशाला भवन, विद्यालय परिसर एवं शाला भवन का अलग से मूल्यांकन किया जावेगा। इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया
जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

14. गांव में शासकीय हॉयर सेकेण्डरी स्कूल नहीं है, उसे बनवाया जाये ?उ0
यह केन्द्रीय सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत आता है एवं नियमानुसार इसमें स्कूल बनवाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

15. परिवार के सदस्य को नौकरी दी जावे ?

उ0 शासन के नियमानुसार प्रभावित परिवार के सदस्यों को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

16. विक्रय की गई जमीन का अधिग्रहण न करें एवं विक्रेता के पक्ष में पंजीकृत बेनामा निष्पादित करें ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

17. पेड़–पौधों के मुआवजे के बदले उससे दो गुने पौधों को बची हुई जमीन पर लगाया जाए ?

उ0 पेड़–पौधों का भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण एवं वन विभाग के द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा।

18. जमीन मेरे भाई के नाम पर है, जिसका कुछ हिस्सा मेरा है। अतः मेरे हिस्से की राशि मेरे नाम पर दिया जावे ?

उ0. इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

19. प्रस्तावित परियोजना में बाउण्ड्रीवाल , रूम एवं पौधे प्रभावित हो रहे है, उनका उचित मुआवजा मुझे मिले ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

20. गॉव में पीने का पानी, नहाने का पानी , बिजली एवं शौचालय का काम अधूरा है, इसे तत्काल पूरा किया जावे ?

उ0 यह केन्द्रीय सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत आता है एवं नियमानुसार इन सब का कोई प्रावधान नहीं है।

21. किसी अन्य परियोजना में अर्जित की गई भूमि का मुआवजा मुझे नहीं मिला है, इसे दिया जावे ?

उ0. इसका इस परियोजना से कोई संबंध नहीं है।

22. मेरी जमीन को जबरन हथिया लिया गया है, इसका मुआवजा मुझे ही मिले एवं दामाद में कार्यवाही की जावे।

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

23. मेरा घर शासकीय भूमि में बना हुआ है एवं मैं भूमिहीन हूँ। अतः मुझे इस मकान का मुआवजा दिया जाए ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

24. हमारी कितनी भूमि अर्जित की जा रही है, यह हमें बताया जाए ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

25. किसी अन्य परियोजना में अर्जित की गई भूमि का मुआवजा मुझे नहीं मिला है, इसे दिया जावे ?

उ0. इसका इस परियोजना से कोई संबंध नहीं है।

26. मेरी भूमि का विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है। इसे काम शुरू होने से पहले प्रकाशित किया जाए ?

उ0. इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

27. रोड निर्माण के लिए मेरा भूमि अधिग्रहण के उपरांत मेरा कुछ जमीन बच रही है, उसे पूरा अधिग्रहण किया जावे ?

उ0. इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

28. मेरी भूमि का विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है। इसे काम शुरू होने से पहले प्रकाशित किया जाए ?

उ0. इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

29. मेरी जमीन को फर्जी तरीके से हथिया लिया गया है, इसमें उचित कार्यवाही की जावे ?

उ0. इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

30. हमारे गांव में पीने एवं नहाने के पानी , बिजली शौचालय की समस्या है, इसमें उचित कार्यवाही की जावे?

उ0 नियमानुसार पानी, बिजली एवं शौचालय का कोई प्रावधान नहीं है।

31. गुमिया गांव में जहॉ रोड क्रासिंग हो रही है, वहॉ लोगों के लिए क्या सुविधा होगी ?

उ0 लोगों की सुविधा के लिए उस जगह पर अण्डर पास दिया जावेगा।

32. अधिग्रहित भूमि का मुआवजा कब तक मिलेगा ?

उ0 भूमि अधिग्रहण प्रकियाधीन है, इसके खत्म होने के पश्चात ही मुआवजा दिया जावेगा।

33. भूमि अधिग्रहण के पश्चात 5 मीटर जमीन अधिक अधिग्रहण की गई है, पेड़ो के मुआवजा के विषय में बताएं ?

उ0 पहले 60 मीटर (Right of Way) प्रस्तावित थी, जिसे बाद में 70 मीटर कर दी गई है, जिसके कारण यह 5 मीटर का अंतर है। पेड़–पौधों का सी.ए.एल.ए. एवं वन विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा।

34. मेरी भूमि को किसी और ने जबरन हथिया लिया गया है, उसमें 08 पेड़ है, उचित कार्यवाही की जावे ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

35. मेरी भूमि के कुछ पेड़ भी काटे जाएंगे। उसका मुआवजा दिया जाएगा या पेड़ लगाए जायेंगे ?

उ0 पेड़–पौधों का सी.ए.एल.ए. एवं वन विभाग द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा।

36. मेरी भूमि को किसी और ने जबरन हथिया लिया गया है, उसमें 08 पेड़ है, उचित कार्यवाही की जावे ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

37. अधिग्रहण की 35 डिसमिल मेरे पिता के नाम पर है। इसका मुआवजा मुझे मिलना चाहिए ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

38. मेरे भूमि किसी और के नाम पर चली गई है, इसका मुआवजा मुझे मिल ?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

39. मेरी जमीन अधिग्रहित हुई है, लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है, प्रकाशित की जावे?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

40. मेरी जमीन अधिग्रहित हुई है, लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है, प्रकाशित की जावे?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

41. मैने घर बनाने के लिए जमीन ली थी, वह इस परियोजना में जा हरी है, मुझे इसके लिए अलग जमीन दी जाए ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

42. मेरी जमीन अधिग्रहित हुई है, लेकिन प्रकाशित नहीं हुई है, उचित कार्यवाही की जाए। इसका मुझे मुआवजा दिया जाए ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

43. भूमि अधिग्रहण में पानी के स्त्रोत अर्थात ट्यूबवेल एवं तालाब प्रभावित हो रहा है, इसलिए पानी के लिए नये स्त्रोंत का प्रबंध करें ?

उ0 केन्द्रीय सरकार के भारतमाला परियोजना के तहत आने के कारण इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

44. मैने जमीन को बेटे के नाम पर घर बनवाने के लिए ली थी।अतः इसका मुआवजा मुझे दिया जाए।

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

45. मैने घर बनाने के लिए जमीन ली थी। मुझे इसके लिए अलग जमीन दी जाए ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

46. मेरी अधिग्रहित जमीन में कुऑ है, जो इस परियोजना में आ रहा है, इसका उचित मुआवजा दिया जाए ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

47. मेरी अधिग्रहित जमीन में कुऑ है, जो इस परियोजना में आ रहा है, इसका उचित मुआवजा दिया जाए ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

48. नेशनल हाईवे के किनारे पेड़ लगाए जाएं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित न हो, इसका जवाब दिया जावे ?

उ0 दिशानिर्देशा अनुसार ग्रीन बेल्ट का विकास किया जावेगा एवं वृक्ष के कटाव के लिए प्रतिपूरक वनीकरण भी किया जावेगा, जिससे आसपास का पर्यावरण दूषित नही होगा।

49. प्रभावित परिवार रोजगार की मांग कर रहा है, क्योकि उनके पास कोई अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है, इसके अलावा पानी का स्त्रोत भी दिया जाए ?

उ0 नियमानुसार प्रभावित परिवारों को नौकारी देने का एवं जल के स्त्रोंत देने का कोई प्रावधान नहीं है।

50. प्रभावित भूमि में हमारा घर, कुऑ एवं कोठार जा रहा है, इसका उचित मुआवजा दिया जाए एवं नौकरी दिया जाए ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा। नियमानुसार प्रभावित परिवारों को नौकारी देने का कोई प्रावधान नहीं है।

51. अधिग्रहित भूमि मेरे दादाजी के नाम पर है। वह अब न हरहे। मेरे पिजाती भी न रहे। मेरे पिताजी भी नहीं रहे। इसलिए मुआवजा मेरी मॉ को दिया जाए?

उ0 इस मामले का निराकरण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा एवं उचित कार्यवाही की जावेगी।

52. मेरी जमीन भैसमा में है जो मेरी पत्नी के नाम पर है, इसका कितना मुआवजा मिलेगा ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

53. राजमार्ग के तहत हम लोगों की बहुत ज्यादा जमीन निकल रही है। खेत, तालाब एवं पेड़ पौधे भी निकल रहे है। गाड़ी चलने के कारण प्रदूषण होगा एवं बीमारियॉ बढ़ेगी। बची हुई जमीनों का भी मुआवजा दिया जाये। प्रभावित परिवारों के सदस्यों को नौकरी भी जाये ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा। मौजूदा हाइवे के बनस्पत प्रस्तावित हाइवे में वायु एवं शोर प्रदूषण में कमी आयेगी। क्योंकि उस सड़क पर गाडियां करीब 100 किमी/घंटे की गति से चलेगी। मौजूदा सड़क कमी चौडी होने के कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है।

54. प्रस्तावित परियोजना जुनवानी और भैसमा के बीच से गुजर रही है। इसलिए वायु और ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना है। इसलिए रोड को गॉव से बाहर ले जाया जाए ?

उ0 मौजूदा हाइवे के बनस्पत प्रस्तावित हाइवे में वायु एवं शोर प्रदूषण में कमी आयेगी। क्योंकि उस सड़क पर गाडियां करीब 100 किमी/घंटे की गति से चलेगी। मौजूदा सड़क कमी चौडी होने के कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है।

55. प्रस्तावित परियोजना में मेरा कुऑ और सौगोन का पेड़ प्रभावित हो रहा है, इसका मुआवजा दिया जाये ?

उ0 भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नवास का उचित मुआवजा और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार उचित मुआवजा दिया जावेगा।

56. प्रस्तावित परियोजना जुनवानी और भैसमा के बीच से गुजर रही है। इसलिए वायु और ध्वनि प्रदूषण होने की संभावना है। इसलिए रोड को गॉव से बाहर ले जाया जाए ?

उ0 मौजूदा हाइवे के बनस्पत प्रस्तावित हाइवे में वायु एवं शोर प्रदूषण में कमी आयेगी। क्योंकि उस सड़क पर गाडियां करीब 100 किमी/घंटे की गति से चलेगी। मौजूदा सड़क कमी चौडी होने के कारण वायु एवं ध्वनि प्रदूषण ज्यादा हो रहा है।

57. नहर किनारे हमारा घर है जहॉ· गुरूघासीदास जी का जैतखम्भ भी है। अतः इसे गॉव से बाहर से निकाला जावे ?

उ0 प्रस्तावित एलायमेंट को उचित सर्वेक्षण एवं क्षेत्र की स्थलाकृति उत्थान और जल निकासी पैटर्न जैसे विभिन्न कारको ध्यान में रखते हुए चुना गया है। अतः इसमें कोई परिवर्तन कारगर नहीं होगा।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधानकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समाहित किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए निर्धारित समयानुसार लोक सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण की गई।

लोक सुनवाई के पूर्व कोई भी चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां लिखित एवं मौखिक में प्राप्त नहीं हुई थी एवं लोक सुनवाई के दौरान कुल 31 लिखित में चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां तथा लोक सुनवाई के दौरान 28 व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो सी.डी. एवं फोटोग्राफ्स के साथ लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी	अपर कलेक्टर	सदस्य सचिव
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,	कोरबा	छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
जिला–कोरबा(छ.ग.)	जिला–कोरबा(छ.ग.)	नवा रायपुर, अटल नगर